भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या- 3352

सोमवार, 16 दिसंबर, 2024/25 अग्रहायण, 1946 (शक)

महिला श्रम बल भागीदारी

3352. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आगामी वर्षों में भारत में कार्यशील आयु की अधिक जनसंख्या होने से आर्थिक भाग्य में स्वत: वृद्धि होगी;

(ख) क्या आर्थिक वृद्धि के लिए जनसंख्या को लाभप्रद रूप से नियोजित किया जाना चाहिए;

(ग) सरकार श्रम बल भागीदारी में लिंग विभाजन को किस प्रकार देखती है जहां महिला श्रम बल की भागीदारी पुरुष श्रम बल की भागीदारी से लगभग 30 प्रतिशत कम है; और

(घ) सरकार द्वारा इस अंतर को कम करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ): आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र करने का अधिकारिक डेटा स्रोत है जिसे सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से आयोजित किया जा रहा है। इस सर्वेक्षण की अवधि प्रति वर्ष जुलाई से जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों का सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 2017-18 में 46.8% से बढ़कर 2023-24 में 58.2% हो गया है।

इसके अलावा, 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति के आधार पर अनुमानित महिला श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 2017-18 में 23.3% से बढ़कर 2023-24 में 41.7% हो गई है, जबकि पुरुषों के लिए अनुमानित एलएफपीआर 2017-18 में 75.8% से बढ़कर 2023-24 में 78.8% हो गई है। इन आंकड़ों से पता चलता है कि 2017-18 से 2023-24 के दौरान पुरुष एलएफपीआर के 3 प्रतिशत अंकों की तुलना में महिला एलएफपीआर में 18.4 प्रतिशत अंकों की वृद्धि हुई है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने महिलाओं सहित अन्य सभी के लिए देश में रोजगार अवसरों को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहलें/उपाय जैसे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), स्टैंड-अप इंडिया योजना, स्टार्टअप इंडिया, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्वरोजगार एवं प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन, आदि किए हैं। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों का ब्यौरा https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

सरकार महिलाओं की नियोजनीयता में सुधार के लिए महिला केंद्रित योजनाओं जैसे मिशन शक्ति, नमो ड्रोन दीदी, लखपति दीदी, विज्ञान और इंजीनियरिंग में महिलाएं- किरण (वाइज-किरण), एसईआरबी-पावर (खोजी अनुसंधान में महिलाओं के लिए अवसरों को बढ़ावा देना) आदि को कार्यान्वित कर रही है।

महिला कामगारों की नियोजनीयता में वृद्धि करने के लिए, सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों तथा क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

महिला कामगारों के लिए समान अवसर और अनुकूल कार्य वातावरण के लिए श्रम कानूनों में अनेक प्रावधान जैसे सवैतनिक मातृत्व अवकाश, शिशु देखभाल अवकाश, शिशुगृह सुविधा, समान मजदूरी आदि भी शामिल किए गए है।

इसके अलावा, केंद्रीय बजट (2024-25) में कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए उद्योग जगत के सहयोग से कामकाजी महिला हॉस्टलों और शिशुगृह की स्थापना की घोषणा की है।

इसके अलावा, श्रम और रोजगार मंत्रालय ने जनवरी, 2024 में "महिला कार्यबल भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए नियोक्ताओं के लिए परामर्शिका" जारी की है। इस परामर्शिका में अन्य बातों के साथ-साथ पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए रोजगार और देखभाल की जिम्मेदारियों के बीच संतुलन की आवश्यकता का उल्लेख किया गया है, जिसमें पितृत्व अवकाश, माता-पिता अवकाश, पारिवारिक आपातकालीन छुट्टी और लचीली कामकाजी व्यवस्था जैसे परिवार अनुकूलन उपाय शामिल हैं।

*****